Subject: **[No subject]**
To: vk.agarwal@trai.gov.in

Date: 09/23/19 06:13 PM
From: Ramesh odedara <rodedara@gmail.com>

अध्यक्ष श्री. आर.एस. शर्माजी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

नई दिल्ली 110002

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय

आप केबल टीवी बिज़नेस को हमसे ज्यादा समझ सकते हैं . लेकिन आप ने 29/12/2018 को नया टैरीफ पुरे भारत मे लागू किया वो भी without 15 % cap के बगैर वही इस समस्या मुख्य कारण है क्योकी 15%cap ही नये कानून की रीड की हड्डी थी वही लागू करने में आप असफल रहे केबल टीवी उपभोक्ता एक मीडिल क्लास फैमिली होती है जिसका एकमात्र मनोरंजन का सस्ता साधन हो सकता है उस के लिए कुछ बदलाव करना आवश्यक ह

पे चैनल सभी अला कार्टे में उपलब्ध हो जिस के एमआरपी 5 ₹ से ज्यादा ना हो ।। DAS के पहले जिसे तरह CAS में प्रवधान था

ब्रॉडकास्टर एमआरपी प्राइस पे केबल ऑपरेटर का भी शेयरिंग फिक्स करे इस लिए के ओ ही कस्टमर को सर्विसेस देता है उस का उस मे सब से बड़ा योगदान है MSO सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करता है कस्टमर को सर्विस देना चैनल के बारे में जानकारी देना उसकी मार्किटिंग करना यह सब ओ ही करता है इस लिए उसका प्रवधान होना आवश्यक है केबल ऑपरेटर काफी तकिलफ में ।। MSO 20%डिस्काउंट में से 10% देता है पर इस से कुछ नही होता उसका खर्चा बहोत ज्यादा है यह सब से इम्पोर्टन है केबल ऑपरेटर रहेंगे तो ही केबल टीवी सर्विस रह

(6) कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म । MSO कस्टमर की पुरी जानकारी ले लेता है जिस में मोबाइल नंबर भी होता है यह सारी डिटेल किसी और के पास भी जाती है और कस्टमर को मार्किटिंग के कॉल आने शुरू हो जाते है ।। इस पर भी कोई ऐसा परविधान होना चाहिये के जिस से कस्टमर की प्राइवेसी बनी रहे . उस की जानकारी सुरक्षित रहे यह होना भी आवश्यक है

Ramesh odedara
Khodiyar cable
Kutiyana city
Gujarat
362650
9624747447